परामर्श -8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 1000 1

एफ नं. ए-110016/12/2020-सीएक्यूएम सी & डी –वॉल्यूम –IV/740 दिनांक: 19.O7.2023

आयोग की ओर से परामर्श

सेवा में :-
अध्यक्ष
एन डी एम सी /डी डी ए
नगर आयुक्त एम सी डी
गुरुग्राम /फरीदाबाद/गाज़ियाबाद

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
नॉएडा अथॉरिटी

विषय: एनसीआर में निर्माण और विध्वंश गतिविधियों से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और रोकथाम

यह अच्छी तरह से विदित है कि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाली धूल अन्य स्त्रोतों के बीच प्रदूषण का एक सतत स्त्रोत है | इन गतिविधियों से उत्पन्न धूल की मात्रा काफी हद तक परिवेश की वायु में पीएम 2.5 /पीएम 10 के स्तर को उल्लेखनीय ढंग से बढाती है |

2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 6 व 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बंधित अन्य एजेंसियां के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किया | इसके अलावा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी निर्माण गतिविधियों से होने वाली धूल की रोकथाम, नियंत्रण और शमन करने के उपायों पर दिशानिर्देश भी जारी किए थे |

3. आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं से होने वाली धूल को कम करने के लिए परामर्श, आदेश और निर्देश आदि जारी किए हैं, जिसमें एन सी आर में प्रत्येक राज्य / एन सी टी दिल्ली के समर्पित वेब पोर्टल के जरिए बड़ी परियोजनाओं में सी एंड डी गतिविधियों की दूरस्थ निगरानी हेतु वैधानिक निर्देश भी शामिल है |

4. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / डीपी सीसी और अन्य सम्बंधित एजेंसी द्वारा निरीक्षण के अलावा सीएक्यूएम द्वारा गठित उडन दस्तों द्वारा सी एंड डी परियोजना गतिविधियों का नियमित ऑन-साइट निरीक्षण कराया जा रहा है | हालाँकि, ऐसे निरीक्षणों के दौरान यह नोट किया गया कि विभिन्न निर्देश/नियम/आदेश/दिशानिर्देश के वांछित प्रभावी क्रियान्वयन और अनुपालन संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परियोजना स्थल पर, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जिनमें निर्माण सामग्री /विध्वंश मलवा का परिवहन भी शामिल है| तदनुसार,

उपरोक्त के घोर उल्लंघन के उदाहरणों के मद्देनजर, सी ए क्यू एम कामबंदी आदेश जारी करने के निर्देश जारी करने के लिए बाध्य है जिसके तहत परियोजना प्रस्तावकों की निवारक और सुधारात्मक कारवाई करने के लिए आदेश दिए जाते हैं और/या सम्बंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/डीपीसीसी को गैर अनुपालन के लिए सी एंड डी परियोजनाओं पर कार्य दुबारा शुरू करने से पहले उचित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने का आदेश दिया जाता है |

5. परिस्थितियों के मद्देनजर वायु प्रदूषण को कम करने और इस सम्बन्ध में नियमों/विनियमों के बेहतर/प्रभावी अनुपालन के लिए आवासीय/वाणिज्यिक सहित एनसीआर में आपके संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत सभी निर्माण परियोजनाओं द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र/अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि सीएक्यूएम द्वारा जारी कोई भी कामबंदी का निर्देश परियोजना में लंबित न हो और यदि ऐसी कोई "कामबंदी" आदेश लंबित है, तो कोई पूर्णता प्रमाणपत्र/अधिभोग प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य –सचिव

प्रतिलिपि:
सदस्य सचिव - एचएसपीसीबी, यूपीपीसीबी और डीपीसीसी – सभी राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ओसी/सीसी जारी करने के लिए अधिकृत/सशक्त एजेंसियां को अनुपालन के लिए व्यापक प्रचार करें ।